## …र उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

| प्रार्थना पत्र सं. | धारा अंतर्गत | ग्राम | तहसील |
|---|---|---|---|
| 36/23 | 53,188 RTA | नयागंज | छबड़ा |

| वादी | वाद शीर्षक | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| बदरिया | बनाम | लालजी वगै. |

…कील :- श्री भानुकुमार गुप्ता

**आदेश पत्रक**

वकील :-

| दिनांक | कार्यवाही एवं आदेश | विविध संदर्भ |
|---|---|---|
| 21/6/23 | अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 विरूद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 28/09/2023 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>छबड़ा (बारां) | 2023/47 |
| 29.9.23 | पत्रावली पूर्व से नियत की गई तिथि पर पेश हुई। वकील वादी उप०। प्रतिवादी सं. 1 व 4 के सम्मन बाद तामील प्राप्त बावजूद इत्तला के न्यायालय में उप० नहीं है उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है प्रतिवादी क्र. 5 व 8 की तलबी हेतु पुनः तलबाना पेश करें पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 26.10.23 को पेश हो। | |
| 26.10.23 | आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में Election 23 व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 21.12.23 को पेश हो।<br>रीडर<br>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी<br>छबड़ा (बारां) | |
| 21/12/23 | आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 14/2/24 को पेश हो।<br>रीडर<br>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी<br>छबड़ा (बारां) | |
| 14.2.24 | आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 2.4.24 को पेश हो।<br>रीडर<br>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी<br>छबड़ा (बारां) | |

| | कार्यवाही एवं आदेश | विविध संदर्भ |
|---|---|---|
| | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० प्रार्थ वादी क्रम 6,8 की तलबी हेतु तलबाना / AR प्रा० पत्र पेश नहीं हुआ समय चाहते है पत्रावली वादे तलबी / AR प्रा० पत्र दिनांक 3.12.24 को पेश हो। | |
| 3.12.24 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० प्रार्थ कि क्रम 6,8 की तलबी हेतु तलबाना / AR प्रा० पत्र पेश नहीं हुआ समय चाहते है पत्रावली वादे तलबी व AR प्रा० पत्र दिनांक 22.1.25 को पेश हो। | |
| 22.1.25 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं स्वयं वादी उप० नहीं है। न्यायालय के रूक-रूक कर तीन बार आवाज लगवाई गई। न्यायालय कार्यवाही स्थगित होने तक इंतजार किया गया। कोई उप० नहीं हुये। प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। | |